

आदेश नं. 157, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

आदेश पत्रक

157

आदेश सं. एम-108 / 2018

धारा-107 द०प्र०सं०

परिलेखन गौराई

बनाम उमयती देवी वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं दिनांकी तारीख सहित
----------------------------	---------------------------------	---

अभिलेख सं०-एम-108 / 2018 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रमारी गुण्डू के अप्राथमिकी सं०-221/18 दिनांक-03-08-18 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि खता नं० 20 भौजा चिमोई पर खेत में वन में (माड) को बर्बाद करने की योजना समय पत्र में विवाद है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति दुष्क होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति दुष्क हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000 (एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि वाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 05/08/18 को उपस्थापित करें।  
लेखापित एवं संशोधित।

  
कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू (राँची)।

  
कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
बुण्डू (राँची)।

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

किया जाना है कि समय पर आपस में गोल  
की समीक्षा एवं प्रबुद्ध नागरिकों के समक्ष मिल  
वैठक आपस में मुलाहका लिए है। आपस  
में शान्ति बनाए रखेंगे एवं आपस में लड़ाई का  
नहीं करेंगे। अतः इस समय परी के मुलाहका  
आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

समय पर के प्रयुक्त मुलाहका आवेदन  
को स्वीकृत किया जाता है एवं बाद में कमिशन  
की कार्रवाई बन्द की जाती है।  
लेखनादि एवं संबन्धित

  
26/11/18  
कार्यपालक दण्डाधिकारी  
बुध (राँची)

  
26/11/18  
कार्यपालक दण्डाधिकारी  
बुध (राँची)